न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 49 / 2024	04.10.2024	26.12.2024

1–वकील खा पुत्र साहब खा जाति मेव निवासी ग्राम कुलताजपुर, उचित मूल्य दुकानदार 1 / 2 भाग पॉस मशीन कोड संख्या 31015 ग्राम पंचायत रूपबास तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्टान

बनाम

1–जिला रसद अधिकारी, खैरथल–तिजारा।
2–खुर्शीद पुत्र सुभान खॉ जाति मेव निवासी ग्राम ढाकपुरी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा।

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्व निर्णय दिनाक 09.09.2024 जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा जिसके द्वारा प्रकरण संख्या 06 / 2024 बअनुवान सरकार बनाम वकील खॉ का प्राधिकार पत्र संख्या 1916 / 2018 विधि विरूद्व बिना सुने समस्त देनदारिया लम्बित रखते हुए निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जप्त करने का आदेश पारित किया गया है, को निरस्त किये जाने

उपस्थितः–

01. श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अपीलान्टा

02. विभागीय प्रतिनिधि – रेस्पोडेन्ट संख्या 1

03. श्री जर्नादन शर्मा –रेस्पोडेन्ट संख्या 2

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व निर्णय दिनाक 09.09.2024 जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा प्रकरण संख्या 06 / 2024 बअनुवान सरकार बनाम वकील खा जिसके द्वारा पॉस मशीन कॉड 31015 का प्राधिकार पत्र संख्या 1916 / 2018 विधि–विरूद्व तरीके से अपीलान्ट को बिना सुने / साक्ष्य का अवसर दिये बिना समस्त देनदारिया लम्बित रखते हुये निरस्त किया जाकर जमा प्रतिभूति राशि जब्त करने के आदेश पारित किये गये है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्ट के विरूद्व प्रवर्तन अधिकारी प्रशान्त यादव की जॉच रिपोर्ट दिनांक 10.05.2024 के आधार पर दिनाक 14.05.2024 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया। दिनाक 14.05.2024 को अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस का विस्तृत जवाब मय दस्तावेज के मिन अपीलान्ट द्वारा दिनाक 26.07.2024 को जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा को पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट होकर जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा द्वारा दिनाक 02.08.2024 को आदेश क्रंमाक रसद / 2024 / 891 दिनाक 02.08.2024 आदेश पारित कर विभागीय प्रकरण विचाराधीन रखते हुए मिन अपीलान्ट उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया गया। मिन अपीलान्ट के विरूद्व किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत नही रही है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनाक 02.08.2024 को जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा

द्वारा बहाल किये जाने के उपरान्त किसी उपभोक्ता, पंच–सरपंच, प्रधान, विधायक आदि की कोई शिकायत मिन अपीलान्ट के विरूद्व नही रही उसके बावजूद जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा द्वारा दिनाक 09.09.2024 को एकपक्षीय रूप में निर्णय पारित कर मिन अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। तहत अदालत द्वारा की गयी जॉच रिपोर्ट क्रमांक रसद/2024/969 दिनाक 30.08.2024 में मिन अपीलान्ट के विरूद्व कोई आरोप नही माने गये है। मिन अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग ग्राम पंचायत रूपबास द्वारा आंगनबाडी केन्द्र ढाकपुरी व कुलताजपुर को कोरोनाकाल में दिनाक 10.11.2020, 10.01.2021 व 02.03.2021 को ऑफलाईन गेहूँ, चना, चावल, दाल प्रदान किया गया है। मिन अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष आंगनवाडी केन्द ढाकपुरी व कुलताजपुर को कोरोनाकाल में उचित मूल्य सामग्री प्रदान किये जाने बाबत रसीदे पेश की गयी थी, जिन पर विश्वास का कोई आधार व कारण नही होने के बावजूद आलोच्य आदेश पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय में कारण बताओ नोटिस दिनाक 14.05.2024 में वर्णित आरोप संख्या 5 व 6 के बारे में इस तथ्य को स्वीकार व वर्णित किया है, कि अटेचमेंन्ट डीलर को अपीलान्ट द्वारा स्टॉक संभलवा दिया गया है, और अपीलान्ट के विरूद्व कोई रिकवरी शेष नही रहती है। तहत अदालत ने अपने निर्णय में ऑगनबाडी कार्यकर्ता बबीता व जमशीदा के कथित पूछताछ दिनाक 04.09.2024 में उनसे पूछे गये प्रश्न की रार्शन डीलर द्वारा वर्तमान में उन्हे कोई रार्शन सामग्री दी गयी या नही दी गयी, के उतर में उनके द्वारा कोई रार्शन सामग्री नही दिये जाने कें आधार पर तहत अदालत द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया गया है। जबकि कथित ऑगनबाडी कार्यकर्ताओ के द्वारा किस अवधि, माह, वर्ष में उन्हे रार्शन सामग्री प्राप्त नही हुई है, का कोई वर्णन/उल्लेख अपने उतर में नही किया गया है। जिसके बावजूद तहत अदालत के द्वारा उक्त गलत जवाब को आधार बनाकर मिन अपीलान्ट के द्वारा कोरोनाकाल में वर्ष 2020 व 2021 में ऑगनबाडी कुलताजपुर व ढाकपुरी को रार्शन सामग्री गेंहू, दाल, चावल, चना का वितरण नही किया गया के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। ऑगनबाडी कार्यकताओ द्वारा कोरोनाकाल में वर्ष 2020 व 2021 में मिन अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार के यहॉ से ऑफलाईन उचित मूल्य सामग्री गेंहू, चावल, दाल, चना प्राप्त किये गये है, की बाबत तत्समय रसीद जारी की गयी थी और रार्शन सामग्री प्राप्त करने का शपथ पत्र प्रस्तुत है। कोरोनाकाल में अपीलान्ट की पॉस मशीन में तकनीकी त्रुटि आई हुई थी, जिस पर तत्कालीन जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा मौखिक आदेश प्रदान करते हुए कोरोनाकाल अवधि में ऑगनबाडीयो द्वारा वितरण की जाने वाली रार्शन सामग्री को उपलब्ध कराए जाने के क्रम में अपीलान्ट को आदेश थे, कि ऑफलाईन रार्शन सामग्री कुलताजपुर व ढाकपुरी के ऑगनबाडी केन्द्रो को प्रदान कर उसकी रसीद प्राप्त करे। जिन आदेशो के अनुसरण में मिन अपीलान्ट के द्वारा उक्त ऑगनबाडी केन्द्रो को कोरोनाकाल में राशन सामग्री गेंहू, दाल, चावल, चना ऑफलाईन प्रदान किये जाकर रसीद प्राप्त की गयी। जिसके आधार पर तहत अदालत पूर्व में मिन अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया गया। परन्तु शिकायतकर्ता की राजनेतिक पहुच के कारण राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्तियो के दबाव में आकर तहत अदालत के द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया गया है। मिन अपीलान्ट के द्वारा तहत अदालत के समक्ष कारण बताओ नोटिस में वर्णित 8 आरोपो का निम्न जवाब दिनाक 26.07.2024 को पेश किया गया कि:–

1. स्टॉक मूल्य सूची बोर्ड पर आवश्यक सूचनाओं का अंकन नियमित रूप से किया जाता है, वक्त जॉच अस्पष्ट अंकन होने पर पुनः लिखवा दिया गया था।
2. मेरे द्वारा गोदाम का नक्शा आदि वक्त जॉच प्रस्तुत कर दिये थे।
3. मौके पर यूनिट रजिस्टर सुरक्षा की द्वष्टि से घर पर रखा हुआ था, जिसे मेरे द्वारा जॉच हेतु प्रस्तुत कर दिया था।
4. मेरे द्वारा दुकान पर ई–सूची चस्पा कर दी गयी थी।
5. माह फरवरी 2024 में मेरे गोदाम पर गाडी लेट पहूची थी, जिसके कारण मेरे द्वारा माह के अन्त में गेहू का वितरण किया गया शेष गेहू आगामी माह में वितरण कर दिया गया।

6. वक्त जॉच मेरी पॉस मशीन संख्या 31015 का ही निरीक्षण किया गया था, लेकिन दुकान का भौतिक सत्यापन नही किया गया था, आंगनबाडी का 700 किग्रा गेहू 2118 किग्रा चना 500 किग्रा चावल एवं 60 किग्रा चना दाल ऑफलाईन संबंधित आंगनबाडी केन्द्रो को वितरण कर दिया गया था।
7. मेरे द्वारा आवश्यक दूरभाष का अंकन नियमित रूप से किया जाता है, वक्त जॉच अस्पष्ट अंकन होने पर पुनः लिखवा दिया गया था।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि में माननीय न्यायालयो की नजीरे आर.एल.डब्लू 2003(4)एस.सी पेश की गयी।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि प्रवर्तन अधिकारी तिजारा द्वारा दिनाक 10.05.2024 को उचित मूल्य दुकानदार पॉस कोड संख्या 31015 ग्राम पंचायत रूपवास प्राधिकार पत्र संख्या 1916/2018 की जॉच की गयी। जॉच रिपोर्ट के आधार पर डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 सपठित पीडीएस कन्ट्रोल के प्रावधानो की स्पष्ट अवहेलना होने पर रार्शन वितरण में की गयी अनियमिताओ के कारण प्रथम द्रष्टया विभागीय कार्यवाही अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर रार्शन डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित करते हुऐ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीलर द्वारा दिनाक 26.07.2024 को उपस्थित होकर जवाब/दस्तावेजात पेश किये जिनको मध्यनजर रखते हुऐ डीलर का विभागीय प्रकरण विचाराधीन रखते हुऐ प्राधिकार पत्र बहाल किया गया। प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर पत्रावली तलब की गयी। एवं पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। डीलर द्वारा पेश किये गये जवाब के साथ पेश किये गये दस्तावेजो के संबंध में अन्तिम स्पष्टीकरण मय स्पष्ट साक्ष्य सहित पेश किये जाने हेतु रार्शन डीलर को नोटिस जारी किया गया। जिस पर रार्शन डीलर द्वारा लिखित जवाब पेश कर कथन किया गया है, कि उसके द्वारा आंगनबाडी कार्यकर्ताओ 700 किग्रा. गेंहू व 2118 किग्रा. चना एवं 500 किग्रा. चावल का ऑफलाईन वितरण कर दिया गया है। डीलर द्वारा इस संबंध में दस्तावेजो की छाया प्रति पेश की गयी। आंगनबाडी कार्यकताओ द्वारा तहत अदालत के समक्ष उपस्थित होकर बयान दर्ज करवाये की रार्शन डीलर वकील खां द्वारा आदिनाक तक कोई राशन सामग्री का वितरण हमे नही किया गया है। जो हस्ताक्षर दिखाये गये है, वो भी हमारे नही है। राशन डीलर द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और उच्चाधिकारीयो को गुमराह करने के कारण राजस्थान खाद्वान एंव अन्य आवश्यक प्रदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 सपठित पीडीएस कन्ट्रोल 2015 के प्रावधानो का स्पष्ट अवहेलना किये जाने के कारण ग्राम पंचायत रूपवास तहसील तिजारा के रार्शन डीलर वकील खां को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 1916/2018 निरस्त किया जाकर जमा प्रतिभूति राशि जप्त सरकार की गयी है। प्रकरण में रार्शन डीलर द्वारा राजस्थान खाद्वान एंव अन्य आवश्यक प्रदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 सपठित पीडीएस कन्ट्रोल 2015 के प्रावधानो का स्पष्ट अवहेलना किये जाने पर विधिवत कार्यवाही की गयी है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य गलत है, तहत अदालत के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा शिकायत पेश की गयी थी, जिस पर जॉच की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर अपीलान्ट के विरूद्व विधिवत कार्यवाही की जाकर प्राधिकार पत्र संख्या 1916/2018 दिनाक 09.09.2024 निरस्त किया गया है। यहा यह भी उल्लेखनिय है, कि अपीलान्ट द्वारा अपील के पैरा संख्या 10 में अटेचमेन्ट डीलर को स्टॉक संभलवा दिया है, के बाबत उल्लेख अंकित किया गया है, उक्त कथन सही नही है। हकीकत तो यह है, कि वकील खॉ अपीलान्ट के निलम्बन होने के उपरान्त किसी भी प्रकार की रार्शन सामग्री आंगनबाडी सेण्टर कुलताजपुर को नही संभलवायी गयी है, वकील खॉ अपीलान्ट द्वारा आंगनबाडी सेण्टर कुलताजपुर की चना, दाल, चावल संभलवाने संबंधित जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये है, वह जालसाजी करके तैयार किये गये है। उक्त दस्तावेजो पर जो हस्ताक्षर है, वह भी संबंधित के नही है। कथन की पुष्टि में बबीता पत्नी औमप्रकाश जाति मेधवाल आंगनबाडी कार्यकर्ता निवासी ग्राम कुलताजपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा एवं जमशीदा पत्नी बशीर जाति मेंव आंगनबाडी कार्यकता निवासी ग्राम

ढाकपुरी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा द्वारा पृथक–पृथक शपथ–पत्र पेश किये गये है। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व विधिवत जॉच कर विधिवत निर्णय पारित किया गया है, अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट/वकील रेसपोडेन्ट/विभागीय प्रतिनिधी की बहस पर मनन किया। वकील द्वारा मुख्य कथन किया है, कि अपीलान्ट के विरूद्व प्रवर्तन अधिकारी की जॉच रिपोर्ट दिनाक 10.05.2024 के आधार पर दिनाक 14.05.2024 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिनाक 14.05.2024 को अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस का विस्तृत जवाब मय दस्तावेज के दिनाक 26.07.2024 को तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट होने पर तहत अदालत ने दिनाक 02.08.2024 को आदेश क्रंमाक रसद/2024/891 दिनाक 02.08.2024 को आदेश पारित कर विभागीय प्रकरण विचाराधीन रखते हुए मिन अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया गया। मिन अपीलान्ट के विरूद्व किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत नही रही है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनाक 02.08.2024 को तहत अदालत के द्वारा बहाल किये जाने के उपरान्त किसी उपभोक्ता, पंच–सरपंच, प्रधान, विधायक आदि की कोई शिकायत मिन अपीलान्ट के विरूद्व नही रही उसके बावजूद तहत अदालत के द्वारा दिनाक 09.09.2024 को एकपक्षीय रूप में निर्णय पारित कर मिन अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। तहत अदालत द्वारा की गयी जॉच रिपोर्ट कंमाक रसद/2024/969 दिनाक 30.08.2024 में मिन अपीलान्ट के विरूद्व कोई आरोप नही माने गये है। मिन अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग ग्राम पंचायत रूपबास द्वारा आंगनबाडी केन्द्र ढाकपुरी व कुलताजपुर को कोरोनाकाल में दिनाक 10.11.2020, 10.01.2021 व 02.03.2021 को ऑफलाईन गेहॅू, चना, चावल, दाल प्रदान किया गया है। मिन अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष आंगनबाडी केन्द ढाकपुरी व कुलताजपुर को कोरोनाकाल में उचित मूल्य सामग्री प्रदान किये जाने बाबत रसीदे पेश की गयी थी, जिन पर विश्वास का कोई आधार व कारण नही होने के बावजूद आलोच्य आदेश पारित किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रवर्तन अधिकारी तिजारा द्वारा दिनाक 10.05.2024 को उचित मूल्य दुकानदार पॉस कोड संख्या 31015 ग्राम पंचायत रूपवास प्राधिकार पत्र संख्या 1916/2018 की जॉच की गयी। जॉच रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 सपठित पीडीएस कन्ट्रोल के प्रावधानो की स्पष्ट अवहेलना होने पर रार्शन वितरण में की गयी अनियमिताओ के कारण प्रथम द्वष्टया विभागीय कार्यवाही अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर रार्शन डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित करते हुऐ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीलर द्वारा दिनाक 26.07.2024 को उपस्थित होकर जवाब/दस्तावेजात पेश किये जिनको मध्यनजर रखते हुऐ डीलर का विभागीय प्रकरण विचाराधीन रखते हुऐ प्राधिकार पत्र बहाल किया गया। प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर पत्रावली तलब की गयी। एवं पत्रावली का पुनः अवलोकन किया जाकर रार्शन डीलर द्वारा पेश किये गये जवाब के सलग्न दस्तावेजो के संबंध में अन्तिम स्पष्टीकरण मय स्पष्ट साक्ष्य सहित पेश किये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया। जिस पर रार्शन डीलर द्वारा लिखित जवाब पेश कर कथन किया गया है, कि उसके द्वारा आंगनबाडी कार्यकर्ताओ 700 किग्रा. गेंहू व 2118 किग्रा. चना एंव 500 किग्रा. चावल का ऑफलाईन वितरण कर दिया गया है। डीलर द्वारा इस संबंध में दस्तावेजो की छाया प्रति पेश की गयी। आंगनबाडी कार्यकताओ कमशः बबीता पत्नी ओमप्रकाश जाति मेधवाल निवासी कुलताजपुर, जमशीदा पत्नी बशीर खा जाति मेव निवासी ढाकपुरी द्वारा दिनाक 04.09.2024 को तहत अदालत के समक्ष उपस्थित होकर बयान दर्ज करवाये है, की डीलर वकील खां के निलम्बन होने के उपरान्त किसी भी प्रकार की रार्शन सामग्री आंगनबाडी सेन्टर को नही संभलवायी गयी है। जो हस्ताक्षर दिखाये गये है, वो भी हमारे नही है। किन्तु विचाराधीन अपील में वकील अपीलान्ट द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी तिजारा द्वारा जारी पत्र क्रंमाक 554 दिनाक 15.10.2024 के संलग्न आंगनबाडी केन्द्र ढाकपुरी व कुलताजपुर को अप्रेल 2020 से जून 2021

तक रार्शन डीलर द्वारा उपलब्ध करवायी गयी दाल, चावल व गेंहू की मात्रा की स्टॉक रजिस्टर व प्राप्ति रशीद पेश की गयी है, तथा पॉस मशीन में उपलब्ध स्टॉक की स्थिति के बाबत रसीदे पेश की गयी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 09.09.2024 निरस्त किया जाता है, उचित मुल्य दुकानदार 1/2 भाग पॉस मशीन कोड संख्या 31015 ग्राम पंचायत रूपबास प्राधिकार पत्र संख्या 1916/18 बहाल किया जाता है प्रकरण इस निर्देश के साथ जिला रसद अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में पेश किये गये दस्तावेजो की रोशनी में प्रकरण की अधिकतम दो माह में सत्यता की जॉच कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिवत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल–शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)